



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



17 माघ, 1945 (श०)

संख्या - 70 राँची, मंगलवार,

6 फरवरी, 2024 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

4 जनवरी, 2024

संचिका सं०-5/स०भू० बोकारो **Vedanta** (क्षतिपूरक वनरोपण)-202/2023-35(5)/रा०,

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषय :-

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-**15.12.2023** को मद संख्या-**19** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में बोकारो जिलान्तर्गत अंचल-चन्द्रपुरा, जरीडीह, कसमार, नावाडीह एवं पेटरवार के विभिन्न मौजा (विस्तृत भूमि विवरणी तालिका**1**) में कुल रकबा-**327.26** एकड़ को राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-**4306/रा०**, दिनांक-**24.10.2014** में निहित प्रावधान के आलोक में कुल संगणित राशि **1,00,01,43,507/-** (एक अरब एक

लाख तैंतालीस हजार पाँच सौ सात) रुपये (विस्तृत कुल देय संगणित राशि विवरणी तालिका-2) के भुगतान पर **ESL Steel Limited, Vedanta, Bokaro** को क्षतिपूरक वनरोपण के निमित्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को भूमि हस्तांतरित करने हेतु स्थायी भूहस्तांतरण करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

तालिका-1

क्र.	अभिलेख सं०	अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित रकबा (एकड़ में)	(ए०में) भूमि का किस्म
01	01/2023-24	चंद्रपुरा	चडरी	101	49	516	23.212	गैरमजरूआ खास जंगल
						527	17.998	
						मौजा चडरी का कुल रकबा:-		41.21
02	02/2023-24	चंद्रपुरा	चडरी	101	49	471	26.57	गैरमजरूआ खास जंगल
						539	18.35	
						मौजा चडरी का कुल रकबा:-		44.92
03	07/2023-24	जरीडीह	कमलापुर	165	49	02	20.03	गैरमजरूआ खास जंगल
						229	22.20	
						540	10.18	
						637	26.57	
						639	13.41	
						मौजा कमलापुर का कुल रकबा:-		92.39
04	14/2023-24	जरीडीह	बेलडीह	158	78	1626	15.68	गैरमजरूआ खास जंगल
						1656	22.05	
						मौजा बेलडीह का कुल रकबा:-		37.73
05	10/2023-24	कसमार	बेमरोटांड	118	14	02	8.50	गैरमजरूआ खास जंगल
						03	30.00	
						06	20.00	
						मौजा बेमरोटांड का कुल रकबा:-		58.50
06	02/2023-24	नावाडीह	मोचरो	37	01	566	12.51	गैरमजरूआ खास जंगल
						मौजा मोचरा का कुल रकबा:-		12.51

07	08/2023-24	पेटरवार	बसरिया	47	02	182	40.00	गैरमजरूआ खास जंगल
				मौजा बसरिया का कुल रकबा:-			40.00	
सकल कुल रकबा-							327.26	

ii. भूमि के हस्तांतरण से संबंधित कुल देय संगणित राशि की गणना विवरणी :-

तालिका-2

क्र० सं०	अभिलेख सं०	मौजा का नाम	रकबा (ए० में)	बाजार दर प्रति एकड़ (रूपये में) (कृषि भूमि के दर के आधार पर अधिकतम औसत विक्रय मूल्य)	सलामी की राशि (रूपये में) बाजार दर प्रति एकड़ x कुल एकड़	व्यवसायिक वार्षिक लगान(सलामी का 5%) (रूपये में)	वार्षिक लीज रेंट का पूंजीकृत मूल्य(लगान X 25 गुणा)	देय सेस का पूंजीकृत मूल्य(लगान के 145% का 25 गुणा) (रूपये में)	कुल देय राशि (रूपये में) (6+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/2023-24	चडरी	41.21	1614300	66525303.00	3326265.15	83156628.75	120577111.69	270259043.44
2	02/2023-24	चडरी	44.92	1614300	72514356.00	3625717.80	90642945.00	131432270.25	294589571.25
3	07/2023-24	कमलापुर	92.39	416200	38452718.00	1922635.90	48065897.50	69695551.38	156214166.88
4	14/2023-24	बेलडीह	37.73	448000	16903040.00	845152.00	21128800.00	30636760.00	68668600.00
5	10/2023-24	बेमरोटांड	58.50	578000	33813000.00	1690650.00	42266250.00	61286062.50	137365312.50
6	02/2023-24	मोचरो	12.51	525400	6572754.00	328637.70	8215942.50	11913116.63	26701813.13
7	08/2023-24	बसरिया	40.00	285200	11408000.00	570400.00	14260000.00	20677000.00	46345000.00
कुल-			327.26		246189171	12309458.55	307736463.75	446217872.45	1000143507.2 या 1,00,01,43,507

iii. उपायुक्त, बोकारो प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे।

iv. प्रस्तावित भूमि के स्थायी हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित

उपायुक्त द्वारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। उपायुक्त, बोकारो यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची/संस्था द्वारा भुगतये होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा।

- v. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क अधियाची/संस्था द्वारा देय होगा।
- vi. अन्य सभी शर्तें राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-4306/रा0, दिनांक-24.10.2014 एवं विभागीय अधिसूचना सं०-3842/रा०, दिनांक-24.11.2023 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अनुरूप लागू होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्र,
सरकार के अपर सचिव।
